महत्वपूर्ण / समय–सीमा

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ0ग0) पिन–492002
दूरभाष कार्यालय–(0771–2512108, फैक्स–2512102) वेब साइट–www.siccg.gov.in ईमेल–sic.cg@nic.in

क्रमांक 2264 / स्था / छगरासूआ / 18 रायपुर, दिनांक 19 / 12 / 2018

प्रति,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
....
....
महानदी भवन, मंत्रालय,
अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018 की जानकारी विधानसभा पटल पर रखे जाने के संबंध में।

––00––

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के प्रावधानों के तहत् राज्य सूचना आयोग वर्ष के अंत में अधिनियम के प्रावधान के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार कर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से विधिवत विधानसभा पटल पर निश्चित समयावधि से रखा जाना है। मंत्रालय के समस्त विभाग, अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्राधिकारियों से ऐसी सूचना एकत्रित कर छ0ग0 राज्य सूचना आयोग, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ0ग0) को उपलब्ध करायेंगे।

2. गत वर्ष की भांति सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आयोग को दी जाने वाली वार्षिक जानकारी के लिए कुल 8 प्रपत्र संलग्न कर भेजे जा रहे हैं। विभागवार वार्षिक जानकारी जनवरी 2018 से दिसम्बर 2018 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित की जावेगी।

3. अतएव वर्ष 2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की जानकारी विधानसभा पटल में रखे जाने हेतु **01 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक की चाही गई जानकारी संकलित कर दिनांक 25 जनवरी, 2019 तक आयोग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।**

4. **वार्षिक प्रतिवेदन की जानकारी विभागीय सचिवों के द्वारा अपने विभाग के अधीनस्थ समस्त जनसूचना अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों से एकत्रित एवं संकलित कर एकजाई जानकारी निर्धारित प्रपत्र में परिशिष्ट 4.1 से 4.5 एवं परिशिष्ट 4.7, 4.8 और परिशिष्ट 4.9 में आयोग को भेजना सुनिश्चित की जावें। जिन विभागों के अंतर्गत अनुदान प्राप्त संस्थाऐं आती हैं, उनसे भी जानकारी प्राप्त कर सचिव विभागीय जानकारी के साथ भेजेगें।**

5. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(2) के अंतर्गत सूचना आयोग को वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित विभागों का हैं। अतएव निर्देशानुसार अनुरोध है, कि अपने विभाग के अधीनस्थ सभी विभागाध्यक्षों से जानकारी एकत्रित एवं संकलित कर निर्धारित प्रपत्र में **छ0ग0 राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ0ग0) को दिनांक 25 जनवरी, 2019 तक भेजने का कष्ट करें।**

संलग्नः–सहपत्र कुल 08 प्रपत्र

सचिव 19/12/18
छ0ग0 राज्य सूचना आयोग
रायपुर

D:\Manoj\Esta. Sec.\New raipur Letter.doc

परिशिष्ट 4.1

विभागीय जानकारी धारा 4(1) ख के अंर्तगत स्वप्रकटन करने वाले लोक प्राधिकारियों का विवरण

विभाग	कार्यालय का नाम	लोक प्राधिकारी की संख्या	धारा (4)(1) ख के अंर्तगत प्रकाशन करने वाले लोक प्राधिकारियों की संख्या	विभागीय मैन्युअल अद्यतन करने वालों लोक प्राधिकारियों की संख्या	इन्टरनेट पर मैन्युअल प्रसारित करने वाले लोक प्राधिकारियो की संख्या
1	2	3	4	5	6

परिशिष्ट 4.2

विभागीय जन सूचना अधिकारियों एवं अपील अधिकारियों का विवरण

विभाग	कार्यालय का नाम	जन सूचना अधिकारियों की संख्या	सहायक जन सूचना अधिकारियों की संख्या	अपीलीय अधिकारियों की संख्या
1	2	4	5	6

परिशिष्ट 4.3

राज्य शासन एवं लोक प्राधिकारियों के द्वारा अधिनियम के कियान्वयन एवं प्रशिक्षण का विवरण

विभाग	कार्यालय का नाम	प्रशिक्षित जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों/अन्य अधिकारियों की संख्या	प्रशिक्षित अशासकीय संस्था/जन प्रतिनिधि की संख्या
1	2	3	4

परिशिष्ट 4.4

सूचना प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदनों के निराकरण का विवरण

विभाग	कार्यालय का नाम	गत वर्ष के लंबित आवेदनों की संख्या	वर्ष में प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग (कॉलम 3+4)	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	शेष आवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

<u>परिशिष्ट 4.5</u>

प्रथम अपील एवं निराकरण का विवरण

विभाग	कार्यालय का नाम	गत वर्ष लंबित अपीलों प्रकरणों की संख्या	इस वर्ष में प्राप्त अपीलों की संख्या	योग	स्वीकृत अपीलों की संख्या	अस्वीकृत अपीलों की संख्या	शेष अपीलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

परिशिष्ट 4.6

आयोग द्वारा आदेशित अपील/शिकायत में अर्थदण्ड, क्षतिपूर्ति एवं अनुशंसित, अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण धारा–20(1) एवं (2) 19(8)(ख)

विभाग	आयोग द्वारा अधिनियम की क्षतिपूर्ति की राशि		आयोग द्वारा अधिनियम की अर्थदंड की राशि		आयोग द्वारा अधिनियम की संख्या	
	अपील	शिकायत	अपील	शिकायत	अपील	शिकायत
2	3	4	5	6	7	8

परिशिष्ट 4.7

लोक प्राधिकारियों एवं जन सूचना अधिकारियों के द्वारा संकलित शुल्क का विवरण

विभाग	कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा–6(1) के तहत् प्राप्त शुल्क का विवरण	अधिनियम की धारा–7(1) के तहत् प्राप्त शुल्क का विवरण	अधिनियम की धारा–7(5) के तहत् प्राप्त शुल्क का विवरण	कुल राशि
1	2	3	4	5	7

परिशिष्ट 4.8

धारा 6(1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का श्रेणीवार विवरण

क्रमांक	विभाग	प्राप्त आवेदन की कुल संख्या							
		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	कुल	गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी अंतर्गत प्राप्त	अनुसूचित जाति की संख्या	अनुसूचित जनजाति की संख्या	पिछडें वर्ग	अन्य वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

परिशिष्ट 4.9

धारा 6(1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का श्रेणीवार विवरण

क्रमांक	विभाग	प्राप्त आवेदनों की श्रेणीवार कुल संख्या				
		शासकीय सेवक	पत्रकार	सामाजिक कार्यकर्ता	महिला	अन्य
1	2	3	4	5	6	7